



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2017/ चैत्र 7, 1939

No. 238]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2017/CHAITRA 7, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2017

सा.का.नि. 297(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 में नियम 525 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के उपनियम (2) के खंड (ii) में मद संख्या (क ख) के पश्चात् निम्नलिखित मद को शामिल किया जाएगा अर्थात्—

"(क ग) दिनांक 1 अप्रैल 2002 से पूर्व प्रतिस्थापित की गई ग्रामीण घरेलू सीधी (प्रत्यक्ष) एक्सचेंज लाइनों के लिए, दिनांक 18 जुलाई, 2012 से 1 वर्ष की अवधि के लिए एक हजार दो सौ पचास हजार करोड़ रु. की अधिकतम राशि की प्रतिपूर्ति अभिगम अभाव प्रभावों के स्थान पर, ग्रामीण तार लाइनों की संचालनात्मक वहनीयता के लिए भारतीय डाक (संशोधन) नियम, 2017 के लागू होने की तारीख से पात्र संचालक को की जाएगी।

3. उक्त नियमों के नियम 526 के "मद (क), मद (क क) और मद (क ख)" के शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "मद (क), मद (क क), मद (क ख) और मद (क ग)" के शब्द, कोष्ठक और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 30-104-1/2013-यूएसएफ]

अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशा.) दूरसंचार विभाग

टिप्पणी : मुख्य नियम डाक एवं तार पुस्तिका खंड I, विधायी अधिनियम, भाग-II, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक 10.12.2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 241 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2017

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 525 of the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2), in clause (ii) after item (ab), the following item shall be inserted, namely:—

“(ac) For rural household Direct Exchange Lines installed prior to 1st April 2002, an amount of maximum of one thousand two hundred fifty crore rupees for a period of one year, with effect from 18th July, 2012 shall be reimbursed to the eligible operator, from the date the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2017 come into force, for operational sustainability of rural wire lines in lieu of Access Deficit Charges.”
3. In rule 526 of the said rules, for the words, brackets and letters “item (a), item (aa) and item (ab)”, the words, brackets and letters “item (a), item (aa), item (ab) and item (ac)” shall be substituted.

[F. No. 30-104-1/2013-USF]

AMIT YADAV, Jt. Secy. (A), DoT

Foot Note: The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and last amended vide notification number G.S.R. No. 241 dated 10.12.2015.